



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328] नई दिल्ली, बुध्स्पतिवार, सितम्बर 12, 1991/भाद्र 21, 1913
No. 328] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 12, 1991/BHADRA 21, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1991

सा.का.नि. 578(अ).--केन्द्रीय सरकार, स्वापक अधिध और मद्य प्रभावी पदार्थ प्रवेश व्यापार निवारण
अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
भारत सरकार के अपर सचिव, श्री तथ्य राय को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से सशक्त करती
है।

[फा.सं. 820/2/90-नि.प्र.व्या.स्वा.]

प्रकाश चन्द्रा, प्रवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****ORDER**

New Delhi, the 12th September, 1991

G.S.R. 578(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 10 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988), the Central Government hereby specially empowers Shri Tarun Roy, Additional Secretary to the Government of India for the purpose of the said Section.

[F. No. 820]2/90-PITNDPS]

PRAKASH CHANDRA, Under Secy.